

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
सरदार पटेल भवन, नेहरू पथ, पटना-23

प्रेषक,

विकास वैभव,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीद कोर्ट हाउस, कोपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली- 110001
E-mail- judicial-ngt@gov.in

पटना, दिनांक-03...अगस्त, 2022

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. No- 262/2022 संजय शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिनांक- 10.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. No- 262/2022- संजय शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिनांक- 10.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार द्वारा अनुमोदित तथ्यात्मक प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) समर्पित किया जा रहा है।

कृपया आवश्यक अग्रेतर कार्यार्थ प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक- यथा वर्णित।

विश्वासभाजन,


सरकार के विशेष सचिव।

Statement of facts for filing compliance report in O.A. No - 262/2022, Sanjay Sharma versus the Union of India and others on behalf of Additional Chief Secretary (Home Department), Bihar.

Present report is being filed pursuant to the order dated 10.05.2022 passed in O.A. No. 262/2022 titled as Sanjay Sharma versus Union of India and others wherein this Hon'ble Tribunal has directed Additional Chief Secretary, Home and Additional Chief Secretary / Principal Secretary (Health), Governments to file factual verification reports as to the following aspects:-

- (i) How many dead bodies were documented / found (a) to have been floating in river Ganga and (b) to have been buried on the river bed in the States of Uttar Pradesh and Bihar before Covid-19 in the years 2018 and 2019 and after Covid-19 in the years 2020, 2021 and till 31.03.2022?
- (ii) In how many cases financial support was extended by Governments of Uttar Pradesh and Bihar respectively for cremation funeral or burial of dead bodies?
- (iii) What steps were taken for creating public awareness and promoting public participation for preventing floating of dead bodies in river Ganga or their burial in or near the river bed?
- (iv) Whether any criminal case was registered and any prosecution was launched against any person for violation of the guidelines for management of dead bodies covid infected or otherwise?
- (v) Whether there was any violation of environmental norms and, if so, the details of the remedial measures taken may be furnished?

2. At the very outset it is humbly submitted that Government of Bihar is well aware of the facts that Article 21 of the Constitution of India which guarantees the Right to life, embraces many aspects of person's life including Right to Dignity. By the various judgement of the Hon'ble Apex Court and

High Court, this right has been extended to dead persons also. The State Government is also aware of the fact that it is the duty of the State to protect the rights of the deceased and prevent crime over the dead bodies.

3. It is further submitted that after the nation was hit by the COVID-19 pandemic, nationwide lockdown was imposed in order to curb the spread of the virus and various precautionary and safety measures were taken to check the contagion of COVID-19 virus. Government of Bihar has taken all possible steps in order to curb the spread of the virus and implemented the direction and guidelines issued by the Central Government in true spirit.

4. It is further submitted that the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi shared "COVID-19: Guidelines on dead body management" and requested all the State Governments to follow the guidelines.

5. It is further submitted that the Ministry of Home Affairs, Internal Security-I Division, vide letter No. 11034/07/2020-IS-IV, dated 18.04.2020 requested all Chief Secretaries, Director Generals of Police to keep themselves abreast of advisories / guidelines and instructions on COVID-19 issued from time to time. The Ministry of Home Affairs in this letter mentioned that the people residing near graveyards or cremation grounds are apprehensive about the spreading of infection through mortal remains of those dying of COVID-19.

6. It is further submitted that in compliance of the letter No. 11034/07/2020-IS-IV dated 18.04.2020, Home Department, Bihar vide letter No. 2796 dated 13.05.2020 shared the aforesaid guidelines to Principal Secretary (Health) and Director General of Police, Bihar for compliance.

(Photocopy of letter No. 2796 dated 13.05.2020 is annexed herewith as Annexure-A)

7. It is further submitted that in compliance of the order dated 10.05.2022 passed in O.A. No. 262/2022, Home Department vide letter No. 6379 dated 23.06.2022 annexing the copy of the order of the Hon'ble Tribunal requested to send factual verification report in this regard i.e. queries made by this Hon'ble Tribunal. Reminders were also sent vide letter No. 7042 dated 05.07.2022 and letter No. 7376 dated 13.07.2022.

(Photocopy of letter No. 6379 dated 23.06.2022, letter No. 7042 dated 05.07.2022 and letter No. 7376 dated 13.07.2022 are annexed herewith as Annexure-B series respectively)

8. It is further submitted that in response the aforesaid letters of Home Department, Bihar State Pollution Control Board vide letter No. 1666 dated 14.07.2022 submitted a report wherein it was mentioned that the State Board has conducted water quality monitoring of the Ganga river at four locations of Buxar District, two locations of Bhojpur District and two locations of Saran District during Covid-19 period from 1st April 2021 to 20th May, 2021. It is further reported that the analysis work was carried out by the Board and observed that the water quality of the Ganga river was not found to be adversely affecting the environment during the Covid-19 Pandemic period.

(Photocopy of report submitted by Bihar State Pollution Control Board vide letter No. 1666, dated 14.07.2022 is annexed herewith as Annexure-C)

9. It is further submitted that the Home Department, Bihar vide letter No. 7969 dated 26.07.2022 requested the District Magistrates of Buxar / Bhojpur / Saran / Patna / Vaishali / Samstipur/ Begusarai /Lakhisarai / Munger /

Khagadiya/ Katihar / Bhagalpur to send factual verification reports on following points :-

- (i) In the State of Bihar in the year 2018 & 2019 and during Covid-19 Pandemic in the year 2020, 2021 & 2022 (up to 31.03.2022)
 - (a) Number of dead bodies found floating in Ganga river.
 - (b) Number of dead bodies cremated in the bank of Ganga river.
- (ii) In how many cases financial support was extended by State Government for cremation funeral or burial of dead bodies?
- (iii) What steps were taken for creating public awareness and promoting public participation for preventing floating of dead bodies in river Ganga or their burial in or near the river bed?
- (iv) Whether any criminal case was registered and any prosecution was launched against any person for violation of the guidelines for management of dead bodies covid infected or otherwise?
- (v) Whether there was any violation of environmental norms and, if so, what remedial measures taken by the Government?

(Photocopy of letter No. 7969 dated 26.07.2022 is annexed herewith as Annexure-D)

10. It is further submitted that in compliance of the aforesaid letters of Home Department, Bihar the District Magistrates of Katihar / Samastipur/ Vaishali / Bhagalpur had sent reports mentioning therein that no death body was found floating in river Ganga vide letter No. 1112 dated 27.07.2022, Letter No. 1203 dated 27.07.2022, letter No. DHS/490/22-23 dated 28.07.2022 and letter No. 1506 dated 02.08.2022 respectively.

(Photocopy of letter No. 1112 dated 27.07.2022, Letter No. 1203 dated 27.07.2022, letter No. DHS/490/22-23

dated 28.07.2022 and letter No. 1506 dated 02.08.2022 are annexed herewith as Annexure-E series)

11. It is further submitted that in compliance of the aforesaid letters of Home Department, Bihar the District Magistrate, Patna vide letter dated No. 3228 dated 28.07.2022 reported that four bodies were found floating / unclaimed alongwith details of the action taken.

(Photocopy of letter No. 3228 dated 28.07.2022 is annexed herewith as Annexure-F)

12. It is further submitted that on the basis of the report received from the District Magistrate, Buxar, Health Department, Bihar in compliance of the aforesaid letters of Home Department, Bihar, sent its report vide letter No. 657 dated 01.08.2022 which is as follows: -

S.No.		
i.	How many dead bodies were documented/found (ai) to have been floating in river Ganga and (b) to have been buried on the river bed in the State of Uttar Pradesh and Bihar before Covid 19 in the years 2018 and 2019 and after Covid 19 in the years 2020, 2021 and till 31.03.2022?	1. That on the basis of the news published in newspapers/news channels/social media and information received from different sources, directions were given to the District Magistrate, Buxar through video conferencing to inquire into the matter, take needful legal action for disposal of the dead bodies after recovering them from the river and make deputation along riverside. Similar directions were also given to all the District Magistrates

		<p>of Patna Division.</p> <p>2. That the office of the Commissioner, Patna Division, Patna, vide letter no. 253 dated 15.05.2021 had sought detailed report from the District Magistrates of Buxar districts with regard to the said issue in the aforesaid matter.</p> <p>A copy of letter no. 253 dated 15.05.2021 is annexed herewith and marked as Annexure-R</p> <p>3. That the District Magistrate, Buxar had sent his detailed report vide letter no. 0903 dated 15.05.2021 along with the statement of fact supported with annexures A to E, with regard to the issue of disposal of dead bodies in the aforesaid matter, to the commissioner, Patna Division, Patna Commissioner, Patna Division, Patna.</p> <p>A copy of letter no. 0903 dated 15.05.2021 along with annexures A to E are annexed herewith and marked as Annexure-R/1 series.</p> <p>4. That on perusal of the aforesaid report dated 15.05.2021 sent by the District Magistrate, Buxar, it is</p>
--	--	--

		<p>observed that team led by Sub-Divisional Officer, Buxar and Sub-Divisional Police Officer, Buxar were deputed to look into the matter and submit report after taking needful action with regard to the disposal of the bodies recovered from the river Ganga. A joint report contained in letter no. 402 dated 13.05.2021, which has been annexed as Annexure-A with the letter no. 903 dated 15.05.2021 has been submitted in the aforesaid matter. In the said report, it has been stated that 71 dead bodies were found on 10.05.2021. The inquest and postmortem of all the bodies were performed by the medical team constituted in this regard and their DNA sampling was done. After following the procedures, the last rites of all the bodies were duly performed. It had been observed in the inquest report conducted by the medical team that all the bodies were 5-6 days old and were in mutilated condition and had come from Utter Pradesh due to the upstream of river Ganga.</p> <p>It has been further stated that in</p>
--	--	---

		<p>order to restrict movement of bodies from upstream and to avoid pollution in the river Ganga, a Mahajaal was put on the border of U.P. to Buxar, Bihar.</p> <p>The Executive Officer, Nagar Parshad, Buxar vide memo no. 1057 dated 15.05.2021 dated 15.05.2021 (Annexure-B) had submitted the number of deaths from 05.05.2021 to 14.05.2021 whose last rites were performed at the Muktidham cremation Centre, Buxar, Thus, the last rites of the people who have died in the last rites of the people who have died in the district of Buxar has been performed and dead bodies have not been disposed/thrown in the river Ganga.</p> <p>It is also pertinent to mention here that the District Magistrate of Buxar has issued a detailed order vide memo no. 10-1405 dated 23.04.2021 (Annexure-C) for disposal of the dead bodies recovered and further action.</p> <p>In order to avoid the occurrence of such type of situation in future the District Magistrate, Buxar has requested the district magistrate of Gazipur, UP</p>
--	--	---

vide letter no. 10-1683/Gop dated 13.05.2021 (Annexure-D) to nominate an officer, who will coordinate with sub-divisional magistrate, Buxar to properly look after the situation. In addition to that the District Magistrate has issued order for patrolling along the bank of Ganga river and deputed officer on the cremation grounds (Annexure-D-1 & D-2).

The District Magistrate, Buxar vide letter no. 1645 dated 11.05.2021 (Annexure-E of the report) had directed all the B.D.O.'S, Circle Officer's and officer In-charge of the Concerned police Station to coordinate with the People's representatives, Mukhiya's and ward members to create awareness among the people so that they refrain from floating dead bodies in the river Ganga. They have been further directed to ensure regular patrolling on the banks of river Ganga throughout the Buxar district and take immediate action for proper disposal of the dead bodies, if found in the Ganges.

5. That it is humbly submitted that the

		answering respondent was fully committed to stop such occurrence of floating of dead bodies in the Ganges and had taken all administrative measures to ensure that the disposal of the dead bodies were done in a proper manner.
ii	In how many cases financial support was extended by Governments of Uttar Pradesh and Bihar respectively for cremation, funeral or burial of the dead bodies ?	District Magistrates, Buxar vide his letter no. 10-1405/Gop., Buxar, dated 23.04.2021 has issued an order that funeral of Covid-19 Positive dated persons should be done at MUKTI DHAM (Cremation Site) or Koipurwa Kabristan while following full Covid Protocol. For the same Nagar Parisad Staff was deputed in various shift. If any family was unable to perform funeral ceremony, then Block Development Officer provided the amount of funeral from "Kabir Antyesthi fund and it was informed to Executive officer, Nagar Parishad, Buxar also. Total 71 dead bodies last rites have been done. (* Here it needs to be stated that since the answering respondent ACS (Home Department), Bihar the report in this

		para refers to the State of Bihar only.)
iii	What steps were taken for creating public awareness and promoting public participation for preventing floating of dead bodies in river Ganga or their burial in or near the river bed?	District Magistrates, Buxar vide his letter no. 10-1683/Gop., Buxar, dated 13.05.2021 and DM & SP, Buxar Joint Order Letter No. 10-1645/Gop, Buxar, dated 11.05.2021 has issued to awareness of people not to floating the dead bodies in Ganga River for this all SHO and CO, Chausa Buxar, Simiri, Chakki and Brahmpur had directed to depute Chaukidar at all ghats of Ganga River, and also written letter to DM, Gazipur, UP requested him to co-ordinate in boarder areas to real time information about dead bodies to abstain from further floating of dead bodies in River Ganga.
iv	Whether any criminal case was registered and any prosecution was launched against any person for violation of the guidelines for management of dead bodies covid infected or otherwise?	Nil
v	Whether there was any violation of environmental norms and, if so, the details	District Magistrate, Buxar vide his letter no. 10-1663/Gop., Buxar, dated 13.05.2021 issued deputation order to

	of the remedial measures taken may be furnished?	coordinator/Magistrate to restrain environmental hazards and keep environment clean and supervise near border areas of Buxar District where dead bodies floating in river Ganga.
--	--	--

13. The aforesaid report received from the Health Department, Bihar clearly shows that the unclaimed bodies which were found floating in Ganga river were cremate /buried with full human dignity. This report also shows that no case of violation of guidelines issued by Government of India were reported.

14. It is relevant to state here that the State of Bihar is committed to provide financial assistance to the kin of deceased persons who died due to Covid-19 and is making every effort to implement the order /directions of the Hon'ble Tribunal. The State of Bihar is the only State in the country that is paying a sum of Rs.4,50,000/- per Covid Death.

Annexure-A

186

पत्रांक-जी/आपदा-06-01/2020-.....2796/

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
सरदार पटेल भवन, नेहरू पथ, पटना-800023

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ई0मेल

पटना, दिनांक:-...../3.....मई, 2020

विषय:- Covid-19 के कारण मृत व्यक्तियों के शवों के प्रबंधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक- 11034/07/2020-IS-IV दिनांक- 18.04.02020, जो Covid-19 के कारण मृत व्यक्तियों के शवों के प्रबंधन के संबंध में संशोधन से संबंधित है, की छायाप्रति कृपया आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Oh

8/5/2020

सरकार के विशेष सचिव।


CIV-09
18/4/20

5336-5366/CR-Mail OUT
SECRET
IMMEDIATE
Through IB Fax (154)

No. 1034/07/2020-IS-IV
Ministry of Home Affairs
Internal Security-I Division

North Block, New Delhi
Dated 18th April 2020

S.S(S)



1. Chief Secretaries/Advisors to Administrators of all States/UTs
2. Directors General of Police of all States/UTs
3. Commissioner of Police, Delhi

Madam/ Sir,

It has been reported that people residing near graveyards or cremation grounds are apprehensive about the spreading of infection through mortal remains of those dying of COVID-19. At a few places, tensions associated with this issue have acquired communal colour.

2. In this regard, you may be aware that the Ministry of Health and Family Welfare has already shared "COVID-19: Guidelines on Dead Body Management", which is available on their website (copy enclosed for ready reference).

Accordingly, States and UTs may take necessary action to deal with last rites of COVID-19 victims so as to avert any fear of spread of the infection. It is also advised that awareness campaign dispelling such misconception about spread of infection through mortal remains may be carried out especially amongst those living near graveyards or cremation grounds.

4. It is further requested that State Governments and UT Administrations may keep themselves abreast of advisories/ guidelines/ instructions on COVID-19 issued from time to time by Ministry of Health and Family Welfare, and communicate the same to their field level agencies for proper implementation.

Encl: As above

Yours faithfully,

(Srinivasu K.)

Dy. Secretary to the Govt. of India

PVA
ACS (HFW)
20/4
मुख्य सचिव
दिल्ली

मुख्य सचिव
जायरी सं.
दिल्ली
593
21/4/20

AS(S)

20/4/20

847

21/4/20

13



**Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Directorate General of Health Services
(EMR Division)**

COVID-19: GUIDELINES ON DEAD BODY MANAGEMENT

15.03.2020

1. Scope of the document

- There are currently over 100 laboratory confirmed cases and two deaths due to Novel Coronavirus disease (COVID-19) in India. Being a new disease there is knowledge gap on how to dispose of dead body of a suspect or confirmed case of COVID-19.
- This guideline is based on the current epidemiological knowledge about the COVID-19. India is currently having travel related cases and few cases of local transmission. At this stage, all suspect/ confirmed cases will be isolated in a health care facility. Hence the document is limited in scope to hospital deaths.

2. Key Facts

- The main driver of transmission of COVID-19 is through droplets. There is unlikely to be an increased risk of COVID infection from a dead body to health workers or family members who follow standard precautions while handling body.
- Only the lungs of dead COVID patients, if handled during an autopsy, can be infectious.

3. Standard Precautions to be followed by health care workers while handling dead bodies of COVID.

Standard infection prevention control practices should be followed at all times.

These include:

1. Hand hygiene.
2. Use of personal protective equipment (e.g., water resistant apron, gloves, masks, eyewear).
3. Safe handling of sharps.

151

4. Disinfect bag housing dead body; instruments and devices used on the patient.
5. Disinfect linen. Clean and disinfect environmental surfaces.

4. Training in infection and prevention control practices

All staff identified to handle dead bodies in the isolation area, mortuary, ambulance and those workers in the crematorium / burial ground should be trained in the infection prevention control practices.

5. Removal of the body from the isolation room or area

- The health worker attending to the dead body should perform hand hygiene, ensure proper use of PPE (water resistant apron, goggles, N95 mask, gloves).
- All tubes, drains and catheters on the dead body should be removed.
- Any puncture holes or wounds (resulting from removal of catheter, drains, tubes, or otherwise) should be disinfected with 1% hypochlorite and dressed with impermeable material.
- Apply caution while handling sharps such as intravenous catheters and other sharp devices. They should be disposed into a sharps container.
- Plug Oral, nasal orifices of the dead body to prevent leakage of body fluids.
- If the family of the patient wishes to view the body at the time of removal from the isolation room or area, they may be allowed to do so with the application of Standard Precautions.
- Place the dead body in leak-proof plastic body bag. The exterior of the body bag can be decontaminated with 1% hypochlorite. The body bag can be wrapped with a mortuary sheet or sheet provided by the family members.

150

- The body will be either handed over to the relatives or taken to mortuary.
- All used/ soiled linen should be handled with standard precautions, put in bio-hazard bag and the outer surface of the bag disinfected with hypochlorite solution.
- Used equipment should be autoclaved or decontaminated with disinfectant solutions in accordance with established infection prevention control practices.
- All medical waste must be handled and disposed of in accordance with Bio-medical waste management rules.
- The health staff who handled the body will remove personal protective equipment and will perform hand hygiene.
- Provide counseling to the family members and respect their sentiments.

6. Environmental cleaning and disinfection

All surfaces of the isolation area (floors, bed, railings, side tables, IV stand, etc.) should be wiped with 1% Sodium Hypochlorite solution; allow a contact time of 30 minutes, and then allowed to air dry.

7. Handling of dead body in Mortuary

- Mortuary staff handling COVID dead body should observe standard precautions.
- Dead bodies should be stored in cold chambers maintained at approximately 4°C.
- The mortuary must be kept clean. Environmental surfaces, instruments and transport trolleys should be properly disinfected with 1% Hypochlorite solution.
- After removing the body, the chamber door, handles and floor should be cleaned with sodium hypochlorite 1% solution.

8. Embalming

- Embalming of dead body should not be allowed.

9. Autopsies on COVID-19 dead bodies

Autopsies should be avoided. If autopsy is to be performed for special reasons, the following infection prevention control practices should be adopted:

- The Team should be well trained in infection prevention control practices.
- The number of forensic experts and support staff in the autopsy room should be limited.
- The Team should use full complement of PPE (coveralls, head cover, shoe cover, N 95 mask, goggles / face shield).
- Round ended scissors should be used
- PM40 or any other heavy duty blades with blunted points to be used to reduce prick injuries
- Only one body cavity at a time should be dissected
- Unfixed organs must be held firm on the table and sliced with a sponge – care should be taken to protect the hand
- Negative pressure to be maintained in mortuary. An oscillator saw with suction extraction of the bone aerosol into a removable chamber should be used for sawing skull, otherwise a hand saw with a chain-mail glove may be used
- Needles should not be re-sheathed after fluid sampling – needles and syringes should be placed in a sharps bucket.
- Reduce aerosol generation during autopsy using appropriate techniques especially while handling lung tissue.

- After the procedure, body should be disinfected with 1% Sodium Hypochlorite and placed in a body bag, the exterior of which will again be decontaminated with 1% Sodium Hypochlorite solution.
- The body thereafter can be handed over to the relatives.
- Autopsy table to be disinfected as per standard protocol.

10. Transportation

- The body, secured in a body bag, exterior of which is decontaminated poses no additional risk to the staff transporting the dead body.
- The personnel handling the body may follow standard precautions (surgical mask, gloves).
- The vehicle, after the transfer of the body to cremation/ burial staff, will be decontaminated with 1% Sodium Hypochlorite.

11. At the crematorium/ Burial Ground

- The Crematorium/ burial Ground staff should be sensitized that COVID 19 does not pose additional risk.
- The staff will practice standard precautions of hand hygiene, use of masks and gloves.
- Viewing of the dead body by unzipping the face end of the body bag (by the staff using standard precautions) may be allowed, for the relatives to see the body for one last time.
- Religious rituals such as reading from religious scripts, sprinkling holy water and any other last rites that does not require touching of the body can be allowed.
- Bathing, kissing, hugging, etc. of the dead body should not be allowed.

1007

- The funeral/ burial staff and family members should perform hand hygiene after cremation/ burial.
- The ash does not pose any risk and can be collected to perform the last rites.
- Large gathering at the crematorium/ burial ground should be avoided as a social distancing measure as it is possible that close family contacts may be symptomatic and/ or shedding the virus.

पत्रांक-जी0/न्या0-19-17/2022-6379/

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक,

विकास वैभव,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
सदस्य सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना।

पटना, दिनांक 23 जून, 2022

विषय-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. No- 262/2022-संजय शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिनांक- 10.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त वाद में दिनांक- 10.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में कतिपय बिन्दुओं पर तथ्यात्मक सत्यापन प्रतिवेदन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली को समर्पित किया जाना है। उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में सुनवाई की अगली तिथि 04.08.2022 निर्धारित है।

अतः उक्त आदेश की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक सत्यापन प्रतिवेदन दो सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली को ससमय प्रतिवेदन समर्पित किया जा सके।

अनुलग्नक- यथा वर्णित।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक-23 जून, 2022

ज्ञापांक-6379/

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार, पटना को उनके पत्रांक- पर्या0/जल0/परि0 (मु0) 44/2022- 291/प0व0ज0प0 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक-23 जून, 2022

ज्ञापांक-6379/

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, विधि कोषांग, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

स्मार

पत्रांक- जी०/न्या० 19-17/2022-7042 /
बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक,

विकास वैभव,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
सदस्य सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना।

नवभागीय दूत
डाक
✓Email

पटना, दिनांक- 5 जुलाई, 2022

विषय— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. No- 262/2022-संजय शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिनांक- 10.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग— विभागीय पत्रांक- 6379, दिनांक- 23.06.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा दिनांक- 10.05.2022 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कतिपय बिन्दुओं पर तथ्यात्मक सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में सुनवाई की अगली तिथि 04.08.2022 निर्धारित है।

अतः अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक सत्यापन प्रतिवेदन अविलम्ब इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली को ससमय प्रतिवेदन समर्पित किया जा सके।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

स्मार

पत्रांक-जी0/न्या0-19-17/2022-7376/

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक,

विकास वैभव,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
सदस्य सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना।विभागीय दूत
Email

पटना, दिनांक-13 जुलाई, 2022

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. No- 262/2022-संजय शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिनांक- 10.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक- 6379, दिनांक- 23.06.2022 एवं स्मार पत्रांक- 7042, दिनांक- 05.07.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के द्वारा दिनांक- 10.05.2022 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कतिपय बिन्दुओं पर तथ्यात्मक सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक- 04.08.2022 निर्धारित है।

अतः अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक सत्यापन प्रतिवेदन अविलम्ब इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली को ससमय समेकित प्रतिवेदन समर्पित किया जा सके।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

D/C



BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Parivesh Bhawan, Patliputra Industrial Area, P.O.-Sadakat Ashram, Patna-800010

EPABX-0612-2261250/2262265, Fax-0612-2261050

e-mail-msbspcb-bih@gov.in, Website-http://bspcb.bih.nic.in

Annexure - C

23

Ref. No. 1666

Patna, dated-14.7.22

From,

S. Chandrasekar, IFS,
Member Secretary.

To,

The Special secretary,
Home Department (Special Branch),
Government of Bihar, Patna

Sub: Submission of report in compliance with the order of the "Hon'ble National Green Tribunal"(NGT), New Delhi in the matter of O.A. No.-262/2022- Sanjay Sharma versus Govt. of India and others-reg.

Ref. G./nya.-19-17/2022/7044 dated 5th July, 2022.

Sir,

With reference to the above cited letter under the above captioned subject it is to inform that in compliance with the order of **the "Hon'ble National Green Tribunal" (NGT), New Delhi** in the matter of **O.A.No.-262/2022-Sanjay Sharma versus Govt. of India and others**. This State Board had conducted water quality monitoring of the Ganga River at four locations of Buxar District, two locations of Bhojpur District and two locations of Saran District during COVID-19 period from April 1st, 2021 to May 20th, 2021. The analysis work was carried out by the Board and observed that the Water Quality of the Ganga River was not found adversely affecting the environment during the COVID-19 Pandemic period. The analysis report is herein enclosed for ready reference.

Encl: As above.

Yours faithfully,


(S. Chandrasekar)

Member-Secretary



1792/6
15/7/22

SO-67
3970/320
15/07/22
C.No-108112/2022

975/5/2022/14
15/7/22
9016-C
14-07-22


24



BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD
 Parivesh Bhawan, Patliputra Industrial Area, P.O.-Sadakat Ashram, Patna-800010
 EPABX-0612-2261250/2262265, Fax-0612-2261050

<u>Water Analysis Report of Ganga River</u>					
Location:- Ganga at Chausa karmnasa D/S Confluence , Buxar					
Parameter	Sampling Date				
	01-Apr-21	22-Apr-21	05-May-21	13-May-21	20-May-21
GPS Location :- 25.5323509, 83.91025					
pH	7.95	7.98	7.79	7.94	8.12
Turbidity (NTU)	15.2	37.6	42.9	47.3	36.7
Conductivity (µmhos/cm)	440	579	546	562	510
Dissolved Oxygen (mg/L)	9.6	9.4	8.4	7.7	8.3
Total Hardness as CaCO ₃ (mg/L)	182	186	182	180	164
Ca as Ca (mg/L)	54.46	42.4	36.8	37.6	32.03
Mg as Mg (mg/L)	11.17	19.4	21.9	20.9	20.4
Chloride (mg/L)	46	42	30	60	56
Alkalinity as CaCO ₃ (mg/L)	186	180	186	170	160
Phosphate (mg/L)	0.18	0.02	0.23	0.19	0.17
Nitrate as N (mg/L)	0.09	0.09	0.24	0.37	0.06
Ammonia as N (mg/L)	0.16	0.17	0.01	--	0.1
Flouride (mg/L)	0.08	0.06	0.04	0.02	0.03
Sulphate (mg/L)	45.3	42.5	34.23	39.59	21.7
COD (mg/L)	12	8	12	44	24
BOD (mg/L)	1.6	1.2	1.6	3.5	2.2
TSS (mg/L)	32	42	46	54	58
TDS (mg/L)	278	352	368	314	344
TFS (mg/L)	222	282	306	272	304
Total Coliform (TC) MPN/100ml	28000	17000	17000	22000	160000
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	17000	7000	7900	17000	160000
Faecal Stroptococci MPN/100ml	45	40	220	2700	20
E.coli MPN/100ml	7900	3300	3300	7900	92000

Standard of River water for bathing purpose	
pH	6.5-8.5
Dissolved Oxygen (mg/L)	>5.0
BOD (mg/L)	<3.0
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	500 (desirable)
	2500 (Maximum Permissible)


 12.7.2022
 (Arun Kumar)
 Board Analyst
 Bihar State Pollution Control Board
 PATNA

23

Location:- Ganga River at Jail Ghat, Buxar					
Parameter	Sampling Date				
	01-Apr-21	22-Apr-21	05-May-21	13-May-21	20-May-21
GPS Location :- 25.5628469, 83.9506048					
pH	7.97	7.94	7.41	7.56	7.76
Turbidity (NTU)	18.1	82.1	75.4	99.7	41.2
Conductivity (µmhos/cm)	441	582	538	598	540
Dissolved Oxygen (mg/L)	8.3	8.3	7.2	7.2	7.8
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	162	174	180	190	174
Ca as Ca (mg/L)	47.25	33.6	34.4	36	35.24
Mg as Mg (mg/L)	10.68	21.9	22.8	24.3	20.88
Chloride (mg/L)	40	39	33	61	58
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	156	160	176	186	166
Phosphate (mg/L)	0.16	0.1	0.21	0.16	0.22
Nitrate as N (mg/L)	0.11	0.07	0.3	0.31	0.07
Ammonia as N (mg/L)	0.12	0.1	--	0.28	0.36
Flouride (mg/L)	0.09	0.04	0.03	--	0.04
Sulphate (mg/L)	31.99	29.98	30.76	40.27	25.05
COD (mg/L)	16	12	16	20	20
BOD (mg/L)	1.9	1.5	1.9	2.3	1.8
TSS (mg/L)	44	76	82	116	82
TDS (mg/L)	276	348	336	326	312
TFS (mg/L)	238	296	314	324	282
Total Coliform (TC) MPN/100ml	160000	4900	160000	160000	54000
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	35000	1700	160000	54000	54000
Faecal Stroptococci MPN/100ml	230	40	2400	3500	1100
E.coli MPN/100ml	17000	1300	35000	35000	35000

Standard of River water for bathing purpose	
pH	6.5-8.5
Dissolved Oxygen (mg/L)	>5.0
BOD (mg/L)	<3.0
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	500 (desirable)
	2500 (Maximum Permissible)


 12.7.2022
 (Arun Kumar)
 Board Analyst
 Bihar State Pollution Control Board
 PATNA

22

Location:- Ganga at Ramrekha ghat, Buxar. Dist.- Buxar					
GPS Location :- 25.5765544, 83.9716685	Sampling Date				
	01-Apr-21	22-Apr-21	05-May-21	13-May-21	20-May-21
Parameter					
pH	7.87	7.71	7.51	7.72	7.63
Turbidity (NTU)	7.87	42.4	28.4	59.6	47.6
Conductivity (µmhos/cm)	442	591	550	602	520
Dissolved Oxygen (mg/L)	8.1	8.1	6.8	7.7	7.6
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	184	184	190	172	170
Ca as Ca (mg/L)	41.64	40.8	38.4	40	33.64
Mg as Mg (mg/L)	19.43	19.9	22.8	17.5	20.88
Chloride (mg/L)	42	36	32	63	60
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	190	164	186	164	164
Phosphate (mg/L)	0.27	0.05	0.17	0.29	0.25
Nitrate as N (mg/L)	0.18	0.25	0.21	0.26	0.04
Ammonia as N (mg/L)	0.26	0.31	--	0.18	0.04
Flouride (mg/L)	0.15	0.03	0.07	0.05	0.04
Sulphate (mg/L)	33.44	35.12	21.7	43.06	29.53
COD (mg/L)	16	16	20	24	24
BOD (mg/L)	2.3	1.7	2.1	2.5	2.1
TSS (mg/L)	26	46	54	86	60
TDS (mg/L)	290	356	344	340	306
TFS (mg/L)	232	288	192	318	266
Total Coliform (TC) MPN/100ml	54000	160000	160000	54000	160000
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	35000	160000	160000	54000	160000
Faecal Stroptococci MPN/100ml	490	1700	3500	2400	110
E.coli MPN/100ml	24000	92000	54000	22000	54000

Standard of River water for bathing purpose	
pH	6.5-8.5
Dissolved Oxygen (mg/L)	>5.0
BOD (mg/L)	<3.0
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	500 (desirable)
	2500 (Maximum Permissible)



 12.7.2022
 (Arun Kumar)
 Board Analyst

 Board Analyst
 Bihar State Pollution Control Board
 PATNA

21

Location:- Ganga at D/S Buxar near Road Bridge. Dist. - Buxar					
Parameter	Sampling Date				
	01-Apr-21	22-Apr-21	05-May-21	13-May-21	20-May-21
GPS Location :- 25.5879325, 83.988151					
pH	7.82	7.75	7.55	7.57	7.49
Turbidity (NTU)	27	39.7	49.2	41.1	39.5
Conductivity (µmhos/cm)	448	598	556	618	570
Dissolved Oxygen (mg/L)	7.9	7.6	6.6	7.4	7.9
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	190	190	212	190	180
Ca as Ca (mg/L)	62.47	39.2	42.4	38.4	40.84
Mg as Mg (mg/L)	8.26	22.3	25.7	22.8	18.94
Chloride (mg/L)	45	40	31	61	66
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	186	168	208	184	176
Phosphate (mg/L)	0.22	0.14	0.26	0.32	0.33
Nitrate as N (mg/L)	0.17	0.17	0.34	0.21	0.12
Ammonia as N (mg/L)	0.16	0.2	0.58	--	0.42
Flouride (mg/L)	0.04	0.09	0.09	0.04	0.03
Sulphate (mg/L)	37.69	35.57	24.16	43.51	31.21
COD (mg/L)	16	16	24	20	24
BOD (mg/L)	2.1	1.9	2.3	2	2.1
TSS (mg/L)	32	54	48	68	48
TDS (mg/L)	298	424	352	324	334
TFS (mg/L)	248	352	298	286	278
Total Coliform (TC) MPN/100ml	35000	43000	160000	92000	160000
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	17000	35000	92000	35000	160000
Faecal Stroptococci MPN/100ml	1100	2700	1700	1300	5400
E.coli MPN/100ml	2300	1700	28000	17000	92000

Standard of River water for bathing purpose	
pH	6.5-8.5
Dissolved Oxygen (mg/L)	>5.0
BOD (mg/L)	<3.0
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	500 (desirable)
	2500 (Maximum Permissible)


 12/7/2022
 (Arun Kumar)
 Board Analyst
 Bihar State Pollution Control Board
 PATNA

(22)

Location:- Ganga River at water Intake Point Mauzampur, Block- Barahara, Bhojpur				
GPS Location :- 25.6896047 84.5889256	Sampling Date			
Parameter	02-Apr-21	23-Apr-21	06-May-21	20-May-21
pH	8.02	8.16	7.87	7.2
Turbidity (NTU)	9.1	38.2	30.4	38.7
Conductivity (µmhos/cm)	446	526	490	515
Dissolved Oxygen (mg/L)	8.5	8.7	8.8	8.4
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	202	230	200	222
Ca as Ca (mg/L)	53.66	31.23	41.64	40.04
Mg as Mg (mg/L)	16.51	36.91	23.31	29.63
Chloride (mg/L)	38	42	31	39
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	190	198	186	204
Phosphate (mg/L)	0.24	0.03	0.15	0.17
Nitrate as N (mg/L)	0.06	0.18	0.19	0.17
Ammonia as N (mg/L)	0.18	0.08	0.09	0.32
Flouride (mg/L)	0.07	0.06	ND	0.07
Sulphate (mg/L)	34.11	34.9	31.32	31.65
COD (mg/L)	8	8	8	8
BOD (mg/L)	1.1	1.2	0.6	0.6
TSS (mg/L)	2	42	34	46
TDS (mg/L)	312	376	262	288
TFS (mg/L)	228	302	214	244
Total Coliform (TC) MPN/100ml	24000	28000	2600	24000
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	24000	22000	2200	24000
Faecal Stroptococci MPN/100ml	230	140	490	1700
E.coli MPN/100ml	13000	17000	1700	1700

Standard of River water for bathing purpose	
pH	6.5-8.5
Dissolved Oxygen (mg/L)	>5.0
BOD (mg/L)	<3.0
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	500 (desirable)
	2500 (Maximum Permissible)

(Signature)
12.7.2022
(Arun Kumar)
Board Analyst

Board Analyst
Bihar State Pollution Control Board
PATNA

19

Location:- Ganga River at Ara-Chapra Road Bridge, at Barhara

GPS Location :- 25.715851, 84.811166	Sampling Date			
	02-Apr-21	23-Apr-21	06-May-21	20-May-21
Parameter				
pH	8.13	7.84	7.79	7.79
Turbidity (NTU)	16	41.3	35.5	45.2
Conductivity (µmhos/cm)	440	519	451	406
Dissolved Oxygen (mg/L)	8.1	8.4	8.7	7.9
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	196	208	184	174
Ca as Ca (mg/L)	55.26	39.24	34.44	31.23
Mg as Mg (mg/L)	14.08	26.71	23.8	23.31
Chloride (mg/L)	26	39	21	32
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	194	196	200	166
Phosphate (mg/L)	0.27	0.03	0.12	0.1
Nitrate as N (mg/L)	0.16	0.2	0.19	0.05
Ammonia as N (mg/L)	0.25	0.05	ND	0.1
Flouride (mg/L)	0.04	0.04	ND	0.06
Sulphate (mg/L)	41.94	43.85	27.07	34
COD (mg/L)	8	8	8	8
BOD (mg/L)	1.2	1.3	0.8	0.7
TSS (mg/L)	44	48	46	58
TDS (mg/L)	274	358	306	260
TFS (mg/L)	226	298	254	232
Total Coliform (TC) MPN/100ml	22000	3300	4900	92000
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	14000	2200	3300	54000
Faecal Stroptococci MPN/100ml	20	68	20	45
E.coli MPN/100ml	2300	1300	1700	35000


Standard of River water for bathing purpose	
pH	6.5-8.5
Dissolved Oxygen (mg/L)	>5.0
BOD (mg/L)	<3.0
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	500 (desirable)
	2500 (Maximum Permissible)

(Signature)
12.7.2022
(Arun Kumar)
Board Analyst
(Signature)
Board Analyst
Bihar State Pollution Control Board
PATNA

18

Location:- Ganga River Near Ambica Asthan, Aaami, Dist. Saran.			
GPS Location :- 25.740386 84.963109	Sampling Date		
	23-Apr-21	06-May-21	20-May-21
Parameter			
pH	7.79	7.71	7.77
Turbidity (NTU)	34.2	32.4	40.5
Conductivity (µmhos/cm)	522	409	434
Dissolved Oxygen (mg/L)	8.1	9.1	8.5
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	220	220	192
Ca as Ca (mg/L)	46.45	46.45	35.24
Mg as Mg (mg/L)	25.26	25.26	25.26
Chloride (mg/L)	23	39	21
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	212	204	184
Phosphate (mg/L)	0.06	0.03	0.2
Nitrate as N (mg/L)	0.12	0.27	0.08
Ammonia as N (mg/L)	0.06	0.15	0.15
Flouride (mg/L)	0.01	0.02	0.01
Sulphate (mg/L)	30.42	14.99	30.65
COD (mg/L)	12	8	12
BOD (mg/L)	1.6	0.7	1.2
TSS (mg/L)	46	40	52
TDS (mg/L)	336	270	290
TFS (mg/L)	278	226	256
Total Coliform (TC) MPN/100ml	54000	11000	35000
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	22000	11000	24000
Faecal Stroptococci MPN/100ml	68	78	1300
E.coli MPN/100ml	4000	3300	17900


Standard of River water for bathing purpose	
pH	6.5-8.5
Dissolved Oxygen (mg/L)	>5.0
BOD (mg/L)	<3.0
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	500 (desirable)
	2500 (Maximum Permissible)


 12/7/2022
 (Arun Kumar)
 Board Analyst
 Bihar State Pollution Control Board
 PATINA

17

Location:- Ganga river at the confluence of Sone River, Dorigang Near balughat,Saran			
Parameter	Sampling Date		
	23-Apr-21	06-May-21	20-May-21
GPS Location :- 25.729721 84.829207			
pH	7.96	7.81	8.1
Turbidity (NTU)	52.2	45.5	47.6
Conductivity (µmhos/cm)	510	427	490
Dissolved Oxygen (mg/L)	8.2	8.6	8.1
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	202	180	196
Ca as Ca (mg/L)	37.64	37.64	39.24
Mg as Mg (mg/L)	26.23	20.88	23.8
Chloride (mg/L)	30	26	28
Alkalinity as CaCO3 (mg/L)	184	190	186
Phosphate (mg/L)	0.04	0.12	0.12
Nitrate as N (mg/L)	0.12	0.17	0.04
Ammonia as N (mg/L)	ND	ND	0.07
Flouride (mg/L)	0.03	0.02	0.04
Sulphate (mg/L)	29.08	25.73	28.3
COD (mg/L)	20	12	12
BOD (mg/L)	2.1	1.1	1.1
TSS (mg/L)	62	54	64
TDS (mg/L)	326	284	310
TFS (mg/L)	284	248	274
Total Coliform (TC) MPN/100ml	35000	7900	11000
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	35000	7900	7000
Faecal Stroptococci MPN/100ml	790	45	20
E.coli MPN/100ml	24000	4900	4900

Standard of River water for bathing purpose	
pH	6.5-8.5
Dissolved Oxygen (mg/L)	>5.0
BOD (mg/L)	<3.0
Faecal Coliform (FC) MPN/100ml	500 (desirable)
	2500 (Maximum Permissible)


 12.7.2022
 (Arun Kumar)
 Board Analyst
 Board Analyst
 Bihar State Pollution Control Board
 PATNA

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक,

विकास वैभव,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर/भोजपुर/सारण/पटना/वैशाली/समस्तीपुर/बेगूसराय/लखीसराय/मुंगेर/
खगड़िया/कटिहार/भागलपुर।

इ0मेल
डाक
फैक्स

पटना, दिनांक-26 जुलाई, 2022

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. No- 262/2022-संजय शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिनांक- 10.05.2022 को पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विषयांकित मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा दिनांक- 10.05.2022 को पारित आदेश (छाया प्रति संलग्न) में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग से निम्न बिन्दुओं पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन की अपेक्षा की गयी है :-

- राज्य में वर्ष 2018 एवं 2019 में तथा कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 (दिनांक-31.03.2022 तक) में -
 - गंगा नदी में तैरते पाये गये शवों की संख्या;
 - गंगा नदी के किनारे दफनाये पाये गये शवों की संख्या;
- राज्य सरकार द्वारा कितने मामलों में शवों को जलाने या दफनाने हेतु आर्थिक मदद प्रदान की गयी है?
- राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी में शवों को प्रवाहित करने या नदी के किनारे शवों को दफनाने से रोकने हेतु आमजन की भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा जन जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
- क्या राज्य में कोविड मृतकों के शवों के प्रबन्धन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अभियोजन चलाया गया है?
- क्या कोविड काल के दौरान शवों को गंगा नदी में प्रवाहित करने अथवा उन्हें नदी किनारे दफनाए जाने से किसी पर्यावरणीय मानदंड की अवहेलना हुई है? यदि हाँ, तो उक्त सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

2. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक-28.07.2022 तक विभाग को अवश्य उपलब्ध कराया जाय, ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली को ससमय समेकित प्रतिवेदन समर्पित किया जा सके।

3. उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक- 04.08.2022 निर्धारित है।

अतः इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाए।

अनुलग्नक- यथा वर्णित।

विश्वासराज,

सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक-26 जुलाई, 2022

ज्ञापांक-7969/

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका-v के सम्बन्ध में अपने स्तर से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक- यथा वर्णित।

सरकार के विशेष सचिव।

आपदा प्रबंधन प्रशाखा



उदयन मिश्रा, भा०प्र०से०,

जिला पदाधिकारी, कटिहार

फोन :- 06452-230581(O) 06452-230583(R)

फैक्स :- 091-9473191375 फैक्स :- 06452230680

E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

पत्रांक : (संचिका सं०-XVIII-21 (2)/2022)/आ०प्र०, दिनांक :

सूचना में,

विशेष सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली में दायर O.A. No- 262/2022 संजय शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिनांक-10.05.2022 को पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग :- आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-3142/आ०प्र० दिनांक-05.07.2022 एवं 3323/आ०प्र० दिनांक-14.07.2022 तथा 3440/आ०प्र० दिनांक-20.07.2022 एवं सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) पटना के पत्रांक-7969 दिनांक-26.07.22।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयवर्तित मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली द्वारा दिनांक-10.05.2022 को पारित आदेश के आलोक में कटिहार जिला से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन/उत्तर निम्नवत है :-

क्र०	अनुपालन का विषय	अनुपालित उत्तर शान्ती
1	2	3
1.	राज्य में वर्ष 2018 एवं 2019 में तथा कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 (दि०-31.03.2022 तक) में 1. गंगा नदी में तैरते पाये गये शवों की संख्या 2. गंगा नदी के किनारे दफनाये गये शवों की संख्या	1. गंगा नदी में तैरते पाये गये शवों की संख्या शून्य है। 2. गंगा नदी के किनारे दफनाये गये शवों की संख्या शून्य है।
2.	राज्य सरकार द्वारा कितने गांवों में शवों को जलाने का दफनाने हेतु आर्थिक मदद प्रदान की गयी है?	शून्य
3.	राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी में शवों को प्रवाहित कराने या नदी के किनारे शवों को दफनाने से रोकने हेतु आमजन को भारीदारी को प्रोत्साहित करने तथा जन जागरूकता का प्रकाश देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	राज्य सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग-सह-नाइल पदाधिकारी, राज्य परिषद/जिला प्रबंधन समूह, बिहार पटना के द्वारा विद्यमान निर्देशों के अनुपालन हेतु जिला एवं प्रखंड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाई गई है एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाईन के अनुरूप प्रतिनिधियों को जन-जागरूक करते हुए आम जनमानस को जिला/प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर वाद्य यंत्र के माध्यम से समय-समय पर जागरूक किया गया है।
4.	क्या राज्य में कोविड मृतकों के शवों के प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए अपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अभियोजन चलाया गया है?	इस जिला में शवों के प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
5.	क्या कोविड काल के दौरान शवों का गंगा नदी में प्रवाहित करने अथवा उन्हें नदी किनारे दफनाने जाने से किसी पर्यावरणीय मानदंड की अवहेलना हुई है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में क्या सुधारत्मक उपाय किए गए हैं?	इस जिला अन्तर्गत कोविड काल के दौरान गंगा नदी में शवों को प्रवाहित नहीं किया गया है एवं नदी किनारे शवों को नहीं दफनाया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शवों की अस्थाति कराई गई है।

अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन,

[Signature]

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

47

ज्ञापिकांक...../आ०प्र० XVIII-21 (2)/2022 दिनांक 27/7/2022

प्रतिलिपि-


प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य प्रशाखा, कटिहार का उनके पत्राक-1462 दिनांक-27.07.2022 के आलोक में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-

आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ का सादर सूचनाार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि-

सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) पटना को सादर सूचनाार्थ समर्पित।


23/7/2022
जिला पदाधिकारी,
कटिहार।



पत्रांक 1203 आ०प्र०

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

सेवा में,

सरकार के विशेष सचिव,
गृह विभाग (विशेष शाखा),
बिहार पटना।

समस्तीपुर, दिनांक 27.07.2022

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली में दायर O.A No.-262/2022- संजय शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिनांक 10.05.2022 को पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-7969 दिनांक-26.07.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वांछित बिन्दुओं का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

क्र०	संबंधित बिन्दु	अनुपालन
1	राज्य में वर्ष-2018 एवं 2019 में तथा कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 (दिनांक 31.03.2022 तक) में - (क) गंगा नदी में तैरते पाये गये शवों की संख्या, (ख) गंगा नदी के किनारे दफनाये पाये गये शवों की संख्या	शून्य शून्य
2	राज्य सरकार द्वारा कितने मामलों में शवों को जलाने या दफनाने हेतु आर्थिक मदद प्रदान की गयी है ?	शून्य
3	राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी में शवों को प्रवाहित करने या नदी के किनारे शवों को दफनाने से रोकने हेतु आमजन की भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?	सभी स्वास्थ्य विभागीय कर्मियों को कोविड से मृत व्यक्तियों के शवों को नदी में प्रवाहित करने अथवा नदी किनारे शवों को दफनाने से रोकने हेतु आम जनों को जागरूक करने का निदेश दिया गया था। जिसका अनुपालन सबों के द्वारा किया गया। साथ ही जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आमजनों के बीच जन जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु माईकिंग, प्रेस विज्ञापन एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था।
4	क्या राज्य में कोविड मृतकों के शवों के प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अभियोजन चलाया गया है ?	समस्तीपुर जिला अंतर्गत कोविड मृतकों के शवों के प्रबंधन से संबंधित विभागीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
5	क्या कोविड काल के दौरान शवों को गंगा नदी में प्रवाहित करने अथवा उन्हें नदी किनारे दफनाए जाने से किसी पर्यावरणीय मानदंड की अवहेलना हुई है ? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?	कोविड काल के दौरान समस्तीपुर जिला अंतर्गत शव को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किया गया और न ही नदी किनारे दफनाए जाने की कार्रवाई की गई।

50/61/170

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

पत्रांक:- DHS/490/22-23
हाजीपुर, दिनांक:- 28/07/2022

प्रेषक,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

विषय-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली में दायर O.A. No.-262/2022 संजय शर्मा बनाम भारत संघ अन्य मामले में दिनांक 10.05.2022 को पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग-

सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना का पत्रांक -जी0/न्या0-19-17/2022-7969 दिनांक 26.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10.05.2022 को पारित आदेश में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा मांगी गयी सूचना का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

क्र0	मांगी गयी सूचना	उत्तर
1	राज्य में वर्ष 2018 एवं 2019 में तथा कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 (दिनांक 31.03.2022 तक) में- (a) गंगा नदी में तैरते पाये गये शवों की संख्या (b) गंगा नदी के किनारे दफनाये पाये गये शवों की संख्या	शून्य शून्य
2	राज्य सरकार द्वारा कितने मामलों में शवों को जलाने या दफनाने हेतु आर्थिक मदद प्रदान की गयी है?	स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 04 शवों को जलाने हेतु आर्थिक मदद प्रदान की गयी है।
3	राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी में शवों को प्रवाहित करने या नदी के किनारे शवों को दफनाने से रोकने हेतु आमजन की भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा जन जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है?	माईकिंग द्वारा लोगो में जन जागरुकता अभियान चलाया गया एवं बताया गया कि शवों को जल में प्रवाहित करने से जल प्रदूषित होगा एवं जल संबंधी बीमारिया फैलेगी
4	क्या राज्य में कोविड मृतकों के शवों के प्रबन्धन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए गए है और अभियोजन चलाया गया है?	NA
5	क्या कोविड काल के दौरान शवों को गंगा नदी में प्रवाहित करने अथवा उन्हें नदी किनारे दफनाए जाने से किसी पर्यावरणीय मानदंड की अवहेलना हुई है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है?	NO

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,


 सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,

समाहरणालय भागलपुर

(विशेष-सह-वरीय पदाधिकारी)

दिनांक 14.06/2022

प्रिपक:

अपर समाहर्ता,
-सह-वरीय पदाधिकारी
आपदा प्रबंधन, भागलपुर।

सेवा में,

सरकार के विशेष सचिव
गृह विभाग (विशेष शाखा)
दिल्ली पटना।

भागलपुर दिनांक 02/08/2022 ई०।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली में दायर OA.N0-262/2022 संजय शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिनांक 10.05.2022 को परित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग: भवदीय पत्रांक 7969 दिनांक 26.07.2022
गृहशाख,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली में दायर OA.N0-262/2022 संजय शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिनांक 10.05.2022 को परित आदेश के आलोक में वर्णित बिन्दुओं पर जाँच सभी अनुमण्डल पदाधिकारी भागलपुर से जाँच करायी गई। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

क्र०	प्रतिवेदन	कृत कार्रवाई
1	राज्य में वर्ष 2018 एवं 2019 में तथा कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 (दिनांक 31.03.2022 तक) में- (a) गंगा नदी में तैरते पाये गये शवों की संख्या (b) गंगा नदी के किनारे दफनाये पाये गये शवों की संख्या	शून्य
2	राज्य सरकार द्वारा कितने मामलों में शवों को जलाने या दफनाने हेतु आर्थिक मदद प्रदान की गयी है?	शून्य
3	राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी में शवों को प्रवाहित करने या नदी के किनारे शवों को दफनाने से रोकने हेतु आमजन की भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	जन जागरूकता अभियान चलाया गया
4	क्या राज्य में कोविड मृतकों के शवों के प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, और अभियोजन चलाया गया है?	नहीं
5	क्या कोविड काल के दौरान शवों को गंगा नदी में प्रवाहित करने अथवा उन्हें नदी किनारे दफनाए जाने से किसी पर्यावरणीय मानदंड की अवहेलना हुई है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?	नहीं

अतः अनुरोध है कि प्रतिवेदन स्वीकार करने की कृपा की जाय।

विश्वसिन्धु

अपर समाहर्ता-सह-

वरीय पदाधिकारी,

आपदा प्रबंधन, भागलपुर।

Annexure - R

आयुक्त File no. IV-vidhi-06/21 - Google Docs

(925) (79) (35) (35) (H) (H)

Annexure - A

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना
(विधि शाखा)

-IV (विधि)- 06/2021.

पत्रांक 253/सा०.

प्रोपक,

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमण्डल।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर /कैमूर।

पटना, दिनांक 15-05-21।

विषय - सी० डब्लू० जे० सी० संख्या -353 /2021, शिवानी कौशिक एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में तथ्य कथन उपलब्ध कराने के सम्यन्ध में.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्यन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विषयांकित मामले में दिनांक 12-05-2021 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि वांछित तथ्य कथन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक - यथोपरि।

विश्वासभाजन



15/5/21
आयुक्त के सचिव
पटना प्रमण्डल।

9/9

58

15/5/21

(11)

(10)

83

संज्ञिका सं. XVI-सं. VI-110/2011
पत्रांक नं. 15/5/21
दिनांक 15/5/2021

राजधानी, मद्रास
(जिला जिला शाखा)

मोडल नं. 15/5/21
पत्रांक नं. 15/5/21
दिनांक 15/5/2021

राजधानी
मद्रास

सेवा में,

जिला प्रशासक,
मद्रास।

सेवा में,

अध्याय,
मद्रास मजदूर, मद्रास।

विषय:-

CWJC No. 153/2021 (शिकायती नौशिक पूर्व अन्य नाम भारत सरकार पूर्व अन्य) में
तथ्य विवरण) समाप्त करने के संबंध में।

परामर्श:-

भारतीय कार्यालय को पत्रांक 253/1110 मद्रास दिनांक 15-05-2021

मार्फत,

सम्बन्धित विषयक प्रशासनिक पत्र के आलोक में भारतीय उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा
विषयसंबन्धित तान में दिनांक 12-05-2021 को भारत आवेदन के आलोक में ग्राह्य तथ्य कथन खिलाने का
भारतीय को अनुमोदनाएँ होती जा रही हैं।

कृपया भारतीय अधिकार की जाय।

आपको : यथोक्त।

विश्वासमानता

15/5/2021
जिला प्रशासक,
मद्रास।



अनुमण्डल कार्यालय, बक्सर
(गोपनीय शाखा)

Phone No (O): 222001
Phone No (R): 222002
Mobile No : +91-9473191241
Email : sdo-bux-bih@nic.in

पत्रांक- 402 /गो०,

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बक्सर सदर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

अनु०, बक्सर, दिनांक 13/05/2021

- विषय:- चौसा अंचल अन्तर्गत बहादुरपुर मौजा में गंगा की धारा और उसके किनारे पाये गये शवों एवं उनके विधिवत निष्पादन से संबंधित जाँच प्रतिवेदन अर्गारहित करने के संबंध में।
- प्रसंग:- भारतीय आदेश नं० 10-1636/गो० दिनांक 10-05-2021 तथा ज्ञापांक 10-1665/गो० दिनांक 12-05-2021

गहाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी को अंचल अधिकारी, चौसा द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि कुछ ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि चौसा अंचल अन्तर्गत बहादुरपुर मौजा में उत्तरायण गंगा के तट और उसकी धारा में कुछ शव तैरते हुए देखे जा रहे हैं।

- अंचल अधिकारी ने तत्काल थानाध्यक्ष के साथ जाकर वहाँ जाँच की तो वहाँ पाया गया कि कुछ शव गंगा की धारा में और कुछ शव 500 - 600 मीटर के दायरे में गंगा की लगभग 90 डिग्री पर घुमी हुई धारा के पास जहाँ शव आकर रुक सकते हैं, पर करीब 20 - 25 की संख्या में शव लगे हुए हैं और कुछ शव नदी की धारा में तैर रहे हैं।
- प्राप्त सूचना पर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर सदर के साथ अधोहस्ताक्षरी तत्काल वहाँ पहुँचे और पाये गये शव के संबंध में विस्तृत जाँच प्रारम्भ की। जाँच में प्रथम दृष्टया निम्नलिखित तथ्य प्रकाशित हुए :-
 - अधोहस्ताक्षरी द्वारा देखा गया कि गंगा का प्रवाह यहां लगभग 90 डिग्री पर पश्चिम से आते हुए उत्तर की तरफ घुमा हुआ है। वहाँ 10 - 12 शव दाहिने तरफ और 14-15 शव बायीं तरफ करीब 500-600 मीटर के दायरे में कफन जैसे कपड़े में लपटे हुए तथा कुछ अधजले किरम के भी क्षत-विक्षत अवस्था में किनारे बिखरे पड़े हुए थे और कुछ शव 7-8 की संख्या में गंगा की धारा में कपड़े में लपटे हुए तैर रहे थे। वहाँ उपस्थित पुरोहित जो आस-पास के शवों का अंतिम संस्कार कराते हैं, श्री दीनदयाल पाण्डेय और उपस्थित चौकीदार, श्री भोला, श्री सुमेश्वर यादव तथा गोताखोर, श्री हीरामन एवं चौसा में लकड़ी विक्रेता, श्री रामाश्रय यादव से पूछताछ की गयी तो पता चला कि उत्तरायणी गंगा के तट पर पूर्व में एक-दो शवों का प्रतिदिन अंतिम संस्कार होता था किन्तु इनदिनों 6-8 शवों का शवदाह करके अंतिम संस्कार हो रहा है। गंगा तट पर और धारा में पड़े हुए शवों के बारे में उक्त पृच्छा करने पर उनसभी के द्वारा बताया गया कि ये शव आजकल में बहकर वहाँ आये हैं।

३.

9/13
76
20

33
34
27

- B. जहाँ उपरिक्त बृहत् आजात नागरिकों एवं गागीणों द्वारा बताया गया कि गंगा की ऊपरी धारा में गाजीपुर जिला के बारे और गहमर घाट पर करीब 200 की संख्या में शव नदी में तैर रहे हैं। इस तथ्य की जानकारी होने पर अधोहस्ताक्षरी को आशंका हुई कि यदि यह बात सही निकली तो ये सभी शव पुनः बहकर बक्सर की ओर गंगा के तट पर आ सकते हैं, जिससे बक्सर जिला में गंगा जी का जल प्रदूषित हो सकता है। इसलिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्काल सीमावर्ती अनुगण्डल के सेवराई महसूल के उपजिलाधिकारी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की विशेष अनुरोध की गयी कि उक्त तथ्य में कितनी सच्चाई है तो इस संबंध में उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की।
- C. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुगण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर सदर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा एवं सेवराई (गाजीपुर) के उपजिलाधिकारी, बारे (उ०प्र०) चौकी के शाखाधिका के साथ बारे एवं गहमर शशासन घाटों का निरीक्षण किया गया तो पाया कि घाट के किनारे पर ही लगभग 15-20 शव लगे हुए हैं। दोनों घाटों पर कहीं भी शवों को जलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। गहमर कापी विकसित घाट पाया गया लेकिन वहाँ पर न तो शवों को जलाने के लिए तकड़ी की व्यवस्था थी और न ही जलाने वाले शवों के निबंधन की कोई व्यवस्था थी। उक्त तथ्य की जानकारी अधोहस्ताक्षरी द्वारा भवदीय को दिये जाने के बाद पुलिस अधीक्षक, बक्सर द्वारा जिला आरूचना इकाई के कुछ पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश की तरफ से शवों के चौसा (बक्सर) की तरफ बहकर आने के कारणों की जांच करने के लिए भेजा गया।
- D. जिला आरूचना इकाई ने अपने DR No.-236/21/DIV.दिनांक-13.05.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इनके द्वारा दिनांक-10, 11 एवं 12 मई, 2021 को अलग-अलग समय एवं स्थितियों में जांच की गई और जांच में पाया गया कि बारे, गहमर, फिरोजपुर और करनाल (केनाल) घाटों पर लगभग 100 की संख्या में शव क्षत-विक्षिप्त अवस्था में किनारे पड़े हैं और स्थानीय प्रशासन उन शवों को गंगा की मुख्य धारा में प्रवाहित करवा दे रहा है।
- 4- अधोहस्ताक्षरी एवं आरूचना इकाई के जांच से यह स्पष्ट हुआ कि चौसा के बहादुरपुर मौजा में अवस्थित उत्तरायणी गंगा के तट एवं प्रवाह में पाये गये शव गंगा की धारा में पश्चिम की तरफ से बहकर आये हैं एवं शव का बहकर आना अनवरत जारी रह सकता है। इसलिए भवदीय निदेश के आलोक में बक्सर एवं उत्तर प्रदेश के गंगा की सीमा पर स्थित चौसा अंचल के रानी घाट पर उत्तर प्रदेश से आ रहे शवों को उनका अंतिम संस्कार कराने, अन्य स्थानों पर शवों को न बिखरने देने तथा बक्सर में गंगा के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नाव और नाविकों, दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की 24 X 7 पालीवार प्रतिनियुक्ति कर सीमा पर महाजाल लगा दिया गया।
- 5- गंगा की स्वच्छता के लिए शवों के ससम्मान अंतिम संस्कार की उसी दिन व्यवस्था की गयी और अधोहस्ताक्षरी के पर्यवेक्षण में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बक्सर सदर के नेतृत्व में भवदीय उपर्युक्त आदेश के आलोक में सभी शवों का अंत्य परीक्षण कराते हुए ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया।
- 6- उक्त के संबंध में अंचलाधिकारी, चौसा एवं थाणाध्यक्ष, मुफरिसल थाना के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक-636/दिनांक-13.05.2021 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। प्रतिवेदन के अनुसार मुफरिसल थाना यू०डी० काण्ड सं०-4/21 दिनांक-11.05.2021 एवं 05/21 दिनांक- 12.05.2021 दर्ज करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक-10.05.2021 को चौसा अंचल के बहादुरपुर मौजा में जहाँ गंगा का प्रवाह लगभग 90 डिग्री उत्तर की ओर घुमा हुआ है यहाँ लगभग 500-600 मीटर के दायरे में गंगा नदी की धारा और किनारे पर लगे हुए

3

975
33
21
96

पूल 71 शवों का विधिवत सजावट, बक्सर द्वारा गठित गैरिजल टीम, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, चौसा की उपस्थिति में अंत्य परीक्षण कराया गया। अंत्य परीक्षण के दौरान प्रतीत हुआ कि सभी शव 5-6 दिन पुराने और गंगा के प्रवाह में बहकर आने से पूल कर अत्यंत क्षत-विक्षाप्त हो गये थे। शव ऐसे क्षत-विक्षाप्त थे कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी कि किय पुरुष, महिला अथवा बच्चों के हैं। उक्त क्षत-विक्षाप्त शवों का गैरिजल टीम द्वारा प्राप्ति स्थल पर ही अंत्य परीक्षण किया गया और सभी का DNA संरक्षित किया गया। तत्पश्चात् शव प्राप्ति स्थल के पास ही गंगा तट चौसा स्थान पर ही गजदूरी के सहयोग से प्रायः शव का विधिवत अंतिम संस्कार करा दिया गया।

- 7- दिनांक-11.05.2021 को प्रातः अंचल अधिकारी, चौसा को सूचना प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश से बहकर आने वाले 02 शव सभी घाट पर गंगाजाल में लगे हैं। इसी तरह लगभग 04:30 बजे अपराह्न सूचना मिली कि 04 शव और बहकर आये हैं। उक्त सभी शवों का अंत्य परीक्षण कराते हुए और DNA संरक्षित कराते हुए शव सारगमन विधिवत अंतिम संस्कार करा दिया गया।
- 8- दिनांक-12.05.2021 को प्रातः अंचल अधिकारी, चौसा को पुनः सूचना मिली कि गंगाजाल में 03 शव और अपराह्न में सूचना मिली कि 01 शव उतर प्रदेश से बहकर आये हैं। उक्त 04 शवों का अंत्य परीक्षण कराते हुए और DNA संरक्षित कराते हुए सारगमन विधिवत अंतिम संस्कार करा दिया गया।
- 9- उक्त सभी विधियों के प्राप्त शवों की फोटोग्राफी भी थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी द्वारा करायी गयी है तथा सभी घाट पर 24 घंटे के लिए विडियोग्राफर भी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है।
- 10- शवों के अंतिम संस्कार स्थल पर चौकीदार सहित दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी भवतीय आदेश आपांक-10-1663/गो0, दिनांक-12.05.2021 द्वारा कर दी गयी है।
- 11- गंगा नदी की स्वच्छता को अक्षुण्ण रखने और जल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए अंचलाधिकारी और भवतीय स्तर से शवों से दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गंगा घाटों पर लगातार गश्ती की जा रही है जिससे बहकर आने वाले शवों का अंतिम संस्कार कराया जा सके तथा कोई भी व्यक्ति गंगा में शव प्रवाह नहीं कर सके।

उपर्युक्त तथ्यों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है:-

- I. जिला आसूचना इकाई, बक्सर और अधोहरतावारी के जॉब प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि चौसा में गंगा घाटों पर जो शव पाये गये वे गंगा के ऊपरी प्रवाह से उत्तर प्रदेश से आये थे जिसके वीडियो एवं फोटो के साथ स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है (छाया प्रति संलग्न)।
- II. चौसा के घाटों पर दिनांक-10.05.2021, 11.05.2021 एवं 12.05.2021 को पाये गये शवों से स्पष्ट होता है कि शव अनवरत गंगा के ऊपरी प्रवाह से आ रहे हैं।
- III. चौसा अंचल में पाये गये सभी शवों का गैरिजल टीम द्वारा अंत्य परीक्षण कर DNA संरक्षित करते हुए ससम्मान अंतिम संस्कार करा दिया गया। सभी उपलब्ध शवों की फोटोग्राफी भी करायी गयी है।
- IV. उल्लेखनीय है कि चौसा में उत्तरायणी गंगा के तट पर बक्सर जिला का कोई परंपरागत घाट नहीं है बल्कि, बक्सर जिला का परंपरागत घाट बक्सर शहर में स्थित मुक्ति धाम है। जहाँ शाहाबाद परिक्षेत्र का और बिहार के बाहर अनेक जिलों के शव अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। इस घाट पर नगर परिषद्, बक्सर द्वारा सभी शवों का निबंधन होता है और सभी शवों का दाह संस्कार होता है। यहाँ विधिवत पंडा समाज, शव चिता पर रखने के लिए कक्कड़ और लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था रहती है तथा आमदिनों में 35-40 शव 24 घंटे जलाये जाते हैं।

74 9/11 32
22 25

V. कोविड काल में हो रही गौलों में गृहकों के शयों का अंतिम संस्कार कराने के लिए भयदीय आदेश झापांक-10-140/गो०, दिनांक-23.04.2021 एवं झापांक-10-1614/गो०, दिनांक-10.05.2021 से पूर्व की ही हिन्दु शयों का मुचित धाम, बक्सर और मुस्लिम गृहकों के शयों का कोइमूरवा कश्मिरस्तान, बक्सर में अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

अतः जिले के और जिले के बाहर के भी ज्यादातर शय मुचित धाम में ही अंतिम संस्कार किये जाते हैं। चौसा में स्थित पाट पर केवल चौसा के आसपास अर्थात् चुन्नी, पवनी, मिल्की एवं चौसा पंचायतों के शयों का आम तौर पर दाह संस्कार किया जाता रहा है। यह व्यापक रूप से प्रचलित एवं समाहित पाट नहीं हैं।

विश्वसभाजन

13/5/2021

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,
बक्सर सदर।

13/05/21
अनुमण्डल पदाधिकारी,
बक्सर सदर।

9/10-73
24
23

Annexure - B

कार्यालय नगर परिषद, बक्सर

Ph No 05183-223109

Email: eonpbr.123@gmail.com



बिहार सरकार

मुक्तिधाम चरित्रवन, बक्सर श्मशान घाट पर मृत व्यक्तियों के दाह संस्कार पंजीकरण संबंधित प्रतिवेदन-

मुक्तिधाम चरित्रवन, बक्सर श्मशान घाट पर मृत व्यक्तियों के दाह संस्कार का अद्यतन प्रतिवेदन निम्न है-

क्र०सं०	दिनांक	पंजीकृत मृत व्यक्तियों की सं०
1	05-05-2021	102
2	06-05-2021	95
3	07-05-2021	89
4	08-05-2021	81
5	09-05-2021	64
6	10-05-2021	106
7	11-05-2021	72
8	12-05-2021	73
9	13-05-2021	55
10	14-05-2021	52

हस्ताक्षर

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बक्सर।

ज्ञापांक: ...1057.../दिनांक: ...15/05/2021

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा बक्सर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, बक्सर का सादर सूचनार्थ समर्पित।

15/5/2021
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बक्सर।
15/5/21

Annexure - 3

समाहरणालय, बक्सर
(जिला पोस्टल शाखा)

Date: _____

E-mail Id : dm-buxar.bil@nic.in, Ph. (06183) 222334 (Off.), 222336 (OH), Fax No. (06183) 222731 (Res.), 2214035 (OH)

आदेश

कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण बक्सर जिला में कुल एक्टिव केस 1224 हो गयी हैं। कुछ लोगों का आइसोलेशन सेन्टर में रखा गया है जिरामे से कुछ गंभीर संक्रमित व्यक्तियों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। बक्सर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/आइसोलेशन सेन्टर में कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार में उत्पन्न समस्या को देखते हुये अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर अपने पत्रांक 334 दिनांक 23.04.2021 के द्वारा निरीक्षण टिप्पणी भेजी गयी है। उक्त के आलोक में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इसकी सूचना कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर को देंगे।
2. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर से समन्वय स्थापित कर कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के दाह-संस्कार हेतु अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
3. बक्सर नगर परिषद एवं आइसोलेशन सेन्टर/स्वास्थ्य केन्द्रों से समन्वय स्थापित करने हेतु श्री दुष्यंत कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक, सदर अस्पताल, बक्सर मो- 8409596216 को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। इनके सहयोग हेतु श्री अतिक श्रीवास्तव, लिपिक, सी0एस0सी0, राजपुर मो0-9939181338 एवं आसिफ अली, कार्यालय सहायक, डी0एच0एस0, बक्सर मो0-8651136382 को प्रतिनियुक्त किया जाता है।
4. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर का दायित्व होगा कि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी श्री दुष्यंत कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक, सदर अस्पताल, बक्सर से समन्वय स्थापित कर कोविड पॉजिटिव मृत व्यक्ति का मुक्ति धाम (शमशान घाट) पर दाह-संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु पालीवार नगर परिषद के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
5. इस्लाम धर्म के मानने वाले कोविड पॉजिटिव व्यक्ति का मृत्यु होने पर उन्हें कोईरपुरवा कब्रिस्तान में दफनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है।
6. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर को निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है :-
 - (i) मृतक को रैप कराने के लिए मजदूर की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
 - (ii) मृतक को वाहन में रखकर शमशान घाट (मुक्ति धाम) अथवा कोईरपुरवा कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार करने के लिए मजदूर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।
 - (iii) शवदाह के लिए लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

28

- (iv) यदि कोई परिवार दाह-संस्कार करने में सक्षम नहीं हो तो उसके दाह-संस्कार की व्यवस्था नगर परिषद, बक्सर के द्वारा कराया जायेगा।
इस चरण हेतु लगाये गये मजदूर भुगतान जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बक्सर के द्वारा किया जायेगा।
6. कवीर अल्पेरी की सभे संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी सूचना कारांपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
 7. सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति थानाध्यक्ष, मॉडल थाना, बक्सर के द्वारा की जायेगी। थानाध्यक्ष, मॉडल थाना, बक्सर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी का नाम/फोनसं० से संबंधित सूचना वनस्पतलक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं सिविल सर्जन, बक्सर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 8. अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर उक्त कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे एवं सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।
 9. सिविल सर्जन, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि कोविड पॉजिटिव मृतक व्यक्ति के दाह-संस्कार हेतु शमशान घाट एवं कोईरपुरवा कब्रिस्तान में पौलीवार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

AS
जिला पदाधिकारी
बक्सर।
23/04/2021

- ज्ञापांक...10-1415.../गो, बक्सर, दिनांक...23/04/2021
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बक्सर/सभी अंचलधिकारी/ सभी थानाध्यक्ष एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी/बक्सर/ सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु बनाये गये कोषांगों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी थानाध्यक्ष, मॉडल थाना, बक्सर को उक्त कार्य हेतु निदेशित किया जाय।

AS
जिला पदाधिकारी
बक्सर।
23/04/2021

Annexure

अमन समीर, भा० प्र० से०
जिला पदाधिकारी, बक्सर

समाहरणालय, बक्सर
(जिला गोपनीय शाखा)

Aman Samir, I.A.S.
District Magistrate, Buxar

E-mail Id : dm-buxar.blh@nlc.in, Ph. (06183) 222335(Res.), 222336 (Off.) Fax No. (06183) 222233(Res.), 226935 (Off.)

पत्रांक 10/1683 /गो०

दिनांक 13/05 /2021

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर (उ०प्र०)।

विषय :- गंगा नदी में शवों के जल प्रवाह को रोक लगाने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 10-1644/गो० दिनांक 11.05.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बक्सर जिलान्तर्गत चौसा प्रखण्ड के महादेवा घाट सहित अन्य स्थलों पर गंगा नदी के Upstream से शवों के बहने की सूचना प्रासंगिक पत्र के माध्यम से दी गयी है। उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये शवों के डिस्पोजल हेतु गंगा नदी में (बक्सर-गाजीपुर सीमा) पर महाजाल लगाया गया, ताकि गंगा नदी में बहते हुये शवों को निकालकर सम्मान पूर्वक डिस्पोजल किया जा सके।

इस क्रम में महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के पत्रांक L-64/2/2021-LMENCG दिनांक 11.05.2021 के द्वारा शवों को गंगा नदी में प्रवाह को निषेध करने एवं अज्ञात शवों को उचित तरीके से डिस्पोजल कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त चिन्हित स्थल पर लगाये गये महाजाल में गाजीपुर-बक्सर गंगा नदी सीमा पर पुनः 10 (दस) शव मिले हैं, जिनको ससमय डिस्पोजल कर दिया गया है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि दोनों जिले में समन्वय हो एवं गंगा नदी में शवों का Real time में सूचना का आदान प्रदान हो।

अतः अनुरोध है कि Border Area में समन्वय हेतु संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारी को नामित करने की कृपा की जाय। बक्सर जिला से अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर मो०- 9473191241 इस हेतु समन्वय करेंगे।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी
बक्सर।


ज्ञापांक 10-1683 /गो०, बक्सर, दिनांक 13/05/2021

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर (उ०प्र०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी

Annexure D-1

समाहरणालय, बक्सर
(जिला गोपनीय शाखा)



E-mail Id : dm-buxar.bih@nic.in, Ph. (06183) 222335(Res.), 222336 (Off.) Fax No. (06183) 222231(Res.), 226935 (Off.)

आदेश

प्राप्त सूचनानुसार कोविड-19 गहाभारी तथा अन्य कारणों से इन दिनों हो रही मौतों के कारण बक्सर जिले का सीमावर्ती जिलों से गंगा में प्रवाहित हो रही शवों पर निगरानी रखने तथा उनका विधिवत अंतिम संस्कार कराने के लिए गंगा नदी में गश्ती कराने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः उक्त के आलोक में बक्सर जिला अंतर्गत गंगा नदी में नाव गश्ती करने हेतु निम्न प्रकार से को-ऑर्डिनेटर/दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

स्थान	पूर्वाह्न 06:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक	अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 10:00 बजे तक
उत्पाद विभाग की एक नाव अहिरौली घाट से नाथबाबा घाट तक	श्री अजय कुमार सिंह, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, शिमरी। मो0- 9470479224	श्री प्रेम प्रकाश, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर। मो0- 8340432156
उत्पाद विभाग की एक नाव नाथबाबा घाट से कृतपुरा घाट तक	श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर। मो0- 8544411184	श्री रोहित कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बक्सर सदर। मो0- 9334939012, 7488772855
एक नाव कृतपुरा घाट से चौसा महादेवा घाट तक।	श्री सुरेश कुमार सिंह, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, बक्सर। मो0- 8544504306	श्री नितेश कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, चौसा। मो0- 6200057798, 8873485449
एक नाव चौसा महादेवा घाट से चौसा रानी घाट तक।	श्री लैलून पासवान, कनीय अभियंता, मनरेगा, चौसा। मो0- 8409024599	श्री नागेन्द्र कुमार मिश्रा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, राजपुर। मो0- 8102598890

1. उत्पाद विभाग की एक नाव अहिरौली घाट से नाथबाबा घाट तक।
2. उत्पाद विभाग की एक नाव नाथबाबा घाट से कृतपुरा घाट तक।
3. इसके अतिरिक्त अंचलाधिकारी, चौसा दो नाव रखेंगे। एक नाव कृतपुरा घाट से चौसा महादेवा घाट तक।
4. एक नाव चौसा महादेवा घाट से चौसा रानी घाट तक।
इन चारों पर नावों पर नाविक, 01-01 दण्डाधिकारी, दो पुलिस बल, 01 गोताखोर रहेंगे।
5. प्रत्येक नाव दो पाली में यथा, प्रथम पाली पूर्वाह्न 06:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 01:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक रहेगा।
6. सरकारी मोटर बोट समय-समय पर गश्ती करेगा। उसपर 01 दण्डाधिकारी 02 पुलिस बल, 02 गोताखोर रहेंगे।
7. मोटर बोट/नाव पर एक-एक लकड़ी का बड़ा डंडा रहेगा।
8. अंचलाधिकारी द्वारा गोताखोर, बड़ा लकड़ी आदि की व्यवस्था की जायेगी।

68
 90
 25
 78
 29
 13

प्रतिनियुक्त को—ऑर्डिनेटर/दण्डाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 होकर कर्तव्य का निर्वहन करेगा एवं आने वाले सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा।

अंचलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा।
 में जनरेटर की व्यवस्था एवं वाक-साफाई के लिए पत्राचार को सुनिश्चित करने के लिए।

संबंधित प्रमाणों को निदेश दिया जाता है कि प्रतिनियुक्त को—ऑर्डिनेटर/दण्डाधिकारी के
 साथ पारसीवार पुलिस केंद्र की चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करके सुनिश्चित करने के लिए।

संबंधित प्रमाण विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि
 आपस में समन्वय स्थापित कर उक्त घाटों का भ्रमण करेंगे एवं आवश्यक संकलित कर अनुमण्डल पदाधिकारी
 को माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी उक्त उक्त कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।

(Signature)
 जिला पदाधिकारी,
 बक्सर।

क्रमांक 13/16.63/ गी० बक्सर दिनांक 21/11/2011

- प्रतिलिपि :- सभी प्रतिनियुक्त को—ऑर्डिनेटर/दण्डाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित थानाध्यक्ष/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- परिचारी प्रखण्ड पुलिस केंद्र, बक्सर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अधीक्षक, गी० निदेश, बक्सर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सिविल सप्लाय बक्सर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- ऊपर उक्त प्रमाण बक्सर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप विकास प्रखण्ड, बक्सर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित थानाध्यक्ष एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया जाय।

(Signature)
 जिला पदाधिकारी,
 बक्सर।

(Annexure 7) - 2

समाहरणालय, बक्सर
(जिला गोपनीय शाखा)

बक्सर
Date: 24/11/2024

E-mail Id : dm-buxar.bhh@nic.in, Ph. (06183) 222335(Res.), 222336 (Off.) Fax No. (06183) 222333(Res.), 226935 (Off.)

आदेश

बक्सर जिलान्तर्गत चौसा प्रखण्ड के मातादेवा घाट सहित अन्य स्थलों पर गंगा नदी में अन्यत्र स्थलों से शवों के बहने की सूचना मीडिया एवं अन्य स्रोत के माध्यम से प्राप्त हो रही है। शवों का इस प्रकार से नदी में प्रवाहित होना गंभीर बात है।

उक्त के आलोक में घाटों की निगरानी एवं विधि-व्यवस्था संभारण हेतु को-ऑर्डिनेटर एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति 24 x 7 के अनुसार निम्नवत की जाती है :-

क्र० सं०	स्थल का नाम	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मो०सं०	प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मो०सं०
1	मुक्ति धाम, चरित्रवन	श्री चन्द्रदेव उपाध्याय कृषि समन्वयक, बक्सर। मो०- 9204710368 पूर्वा० 06:00 बजे से अप० 02:00 बजे तक	श्री उदयशंकर प्रसाद पुलिस अवर निरीक्षक, नगर थाना, बक्सर। मो०- 6203687646 पूर्वा० 06:00 बजे से अप० 06:00 बजे तक
		श्री मनीष दूबे कृषि समन्वयक, बक्सर। मो०- 7870193678 अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	श्री फुलेचन्द्र राय पुलिस अवर निरीक्षक, नगर थाना, बक्सर। मो०- 620526626 अप० 06:00 बजे से पूर्वा० 06:00 बजे तक
		श्री पंकज कुमार सिंह कृषि समन्वयक, बक्सर। मो०- 7488342945 रात्रि 10:00 बजे से पूर्वा० 06:00 बजे तक	
2	श्मशान घाट, चौसा	श्री मनोज कुमार सिंह कृषि समन्वयक, चौसा। मो०- 9097161407 पूर्वा० 06:00 बजे से अप० 02:00 बजे तक	श्री मोहनलाल प्रसाद पुलिस अवर निरीक्षक, बक्सर मु० मो०- 7632885584 पूर्वा० 06:00 बजे से अप० 06:00 बजे तक
		श्री रामपुकार तिवारी कृषि समन्वयक, चौसा। मो०- 9097540404 अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	श्री महेंद्र राय पुलिस अवर निरीक्षक, बक्सर मु० मो०- 9430847554 अप० 06:00 बजे से पूर्वा० 06:00 बजे तक
		श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, चौसा। मो०- 8507510222 रात्रि 10:00 बजे से पूर्वा० 06:00 बजे तक	

कार्य एवं दायित्व :-

1. प्रतिनियुक्त घाट पर निगरानी रखना।
2. यदि नदी में कोई शव का प्रवाह करता है या नदी से शव प्रवाहित होकर आ रहा है तो इसकी सूचना संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलनिगरानी को उपलब्ध कराना।


31

3. शोध को अंतिम संस्कार करने / Disposal करने हेतु संबंधित प्रमुख विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करना।

4. संपर्क करने हेतु मोबाइल नम्बर निम्नलिखित हैं

प्रमुख विकास पदाधिकारी, चौसा मो० नं० 9431818458
अंचलाधिकारी, चौसा मो० नं० 8544412494
प्रमुख विकास पदाधिकारी, बक्सर मो० नं० 7004893379
अंचलाधिकारी, बक्सर मो० नं० 8544418493

अतः उक्त को आलोक में प्रतिनियुक्त ओ-ऑर्डिनेटर एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही प्रतिनियुक्त स्थल पर पहुँचकर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।


पुलिस अधीक्षक
बक्सर


जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापक 10-164-6 / मो०, दिनांक 11 / 5 / 2020

- प्रतिलिपि :- सभी प्रतिनियुक्त ओ-ऑर्डिनेटर एवं पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता/उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


पुलिस अधीक्षक
बक्सर


जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

Annexure E

65
22 15
19
201
32

अमन समीर, भा0 प्र0 रो0
जिला पदाधिकारी, बक्सर

समाहरणालय, बक्सर
(जिला गोपनीय शाला)

Aman Samir, I.A.S.
District Magistrate

E-mail Id : dm-buxar,bih@nic.in, Ph. (06183) 222335(Res.), 222336 (Off.) Fax No. 06183) 222331(Res.), 226935 (Off.)

पत्रांक 10-1645/गो0

दिनांक 11/05 /2021

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

पुलिस अधीक्षक,
बक्सर।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला।
सभी अंचल अधिकारी, बक्सर जिला।
सभी थानाध्यक्ष, बक्सर जिला।

विषय :- गंगा नदी में शवों के जल प्रवाह पर रोक लगाये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बक्सर जिलान्तर्गत चौसा प्रखण्ड के महादेवा घाट पर गंगा नदी के Upstream से बहते आ रहे शवों को नदी से निकाल कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए दिनांक 10.05.2021 को समुचित डिस्पोजल किया गया है। ऐसी आशंका है कि शवों का दाह संस्कार न कर उसका जल प्रवाह गंगा नदी में किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। उपर्युक्त स्थिति में निम्नवत् निदेश दिये जाते हैं—

- (1) अंचल अधिकारी, चौसा, बक्सर, सिमरी, चक्की तथा ब्रह्मपुर एवं संबंधित थानाध्यक्ष को निदेशित किया जाता है कि घाटों पर महाजाल की व्यवस्था करेंगे तथा यदि कोई शव नदी में बहता हुआ पाया जाता है तो तत्काल उसे बाहर निकलवा कर समुचित डिस्पोजल किया जाय।
- (2) अंचल अधिकारी, चौसा, बक्सर, सिमरी, चक्की तथा ब्रह्मपुर एवं इस अंचल अन्तर्गत सभी थानाध्यक्ष को निदेशित किया जाता है कि स्थानीय गंगा घाटों पर निगरानी बढ़ाई जाय तथा शवों के जल प्रवाह पर रोक लगाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही निदेशित किया जाता है कि घाटों पर चौकीदारों की भी प्रतिनियुक्ति की जाय।
- (3) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, बक्सर जिला को निदेशित किया जाता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर लोगों को जागरूक कर मृत शरीर को जल प्रवाह करने से रोक लगायी जाय।


11/05/21
पुलिस अधीक्षक,
बक्सर।

विश्वासभाजन


जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

33

21

960

64

14

18

प्रतिनियुक्त को-ऑर्डिनेटर/दण्डाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि ससमय उपरिष्ठ होकर कर्त्तव्य का निर्वहन करेंगे एवं आने वाले सभी सूचनाओं को संकलित कर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से अवगत करायेंगे।

अंचलाधिकारी, चौसा को निदेशित किया जाता है कि महादेवा एवं रानी घाट, चौसा पर रात्रि में जनरेटर की व्यवस्था एवं साफ-सफाई के लिए मजदूर की व्यवस्था करवायेंगे।

संबंधित थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि प्रतिनियुक्त को-ऑर्डिनेटर/दण्डाधिकारी के साथ पालीवार पुलिस बल एवं चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि आपरा में समन्वय स्थापित कर उक्त घाटों का भ्रमण करेंगे एवं आसूचना संकलित कर अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर उक्त कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।

A. S. 12/5/2021
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-1663 / गो0 बक्सर दिनांक 12/10/2021

- प्रतिलिपि :- सभी प्रतिनियुक्त को-ऑर्डिनेटर/दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- संबंधित थानाध्यक्ष/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, महा निषेध, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित थानाध्यक्ष एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया जाय।

A. S. 12/5/2021
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।



बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(विधि-शाखा)

Ph No. :- 06189-223241 (0)
Fax No. :- 06189-223301
E-mail :- ddt-bhabhua@bihar.gov.in

92/1
Annexure-R/1
13
42
35

पत्रांक-III-34-2020/-1231 / विधि, दिनांक (15.05.2021) (12)

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

सेवा में,

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमण्डल, पटना।

विषय :- सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0-353 सन् 2021 शिवानी कौशिक एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में तथ्य कथन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-253/सा0 दिनांक 15.05.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0-353 सन् 2021 शिवानी कौशिक एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य से संबंधित वांछित तथ्य कथन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही हैं।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विश्वासभाजन,

15/5/2021
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।